शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.)
क्या सरकारी एवं निजी विद्यालयों के मध्य बढ़ती खाई को कम करने में सफ़ल?

अंशुल*

नि:संदेह संसद द्वारा अगस्त 2009 में 6–14 आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का मूलभूत अधिकार देने वाला शिक्षा विधेयक पारित कर, शिक्षा को कानूनी अधिकार प्रदान करना एक ऐतिहासिक कदम है। इस कानून का बनना इसलिए भी महत्त्व रखता है कि लगभग 60 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज देश में प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या करोड़ों में है। इसलिए इन्हें स्कूल में लाना एक बड़ी चुनौती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विधेयक में गरीब एवं वंचित बच्चों और विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति तथा विकलांग बच्चों हेतु निजी तथा विशेष श्रेणी वाले स्कूलों में पहली कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है। जिससे अधिक से अधिक लोग साक्षर होकर प्रगति पथ की ओर चल सकें। परंतु यह तभी संभव है जब शिक्षण संस्थाओं की स्थिति उत्तम हो तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। साथ ही सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेता तथा अमीर वर्ग के बालक भी इन्हीं विद्यालयों में अध्ययन करें तथा निजी विद्यालयों की ओर समाज का बढ़ता आकर्षण घटे। यह तब ही संभव है जब प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। इसलिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। परंतु लगभग 5 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफ़ल नहीं हो पाए। इसलिए आज हमारे समाज में विद्यालयों के दो वर्ग — सरकारी एवं निजी विद्यालय स्थापित हो गये हैं। इस लेख में समाज में विद्यालयों के प्रति बनी भेदभाव की धारणा को जानने का प्रयास किया गया है।

* *शोध छात्रा,* 598, संजय मार्ग, पटेल नगर, मुजफ़्फ़रनगर 251001, उत्तर प्रदेश

Chapter 10.indd 86 09-08-2017 16:28:50

पृष्ठभूमि

शिक्षा, व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति के साथ-साथ सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के लिए भी आवश्यक है। "सुभाषित रत्न दोष" में उल्लिखित है कि 'ज्ञान मनुष्य का, तीसरा नेत्र है। जो उसे समस्त तत्वों के मूल को जानने में सहायता करता है तथा यही कार्य करने की विधि बताता है।'

महाभारत काव्य में भी वर्णित है कि 'विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान कोई दूसरा तप नहीं है।'

इस प्रकार, शिक्षा विनय प्रदान करती है। विनय से पात्रता आती है। धन से धर्म तथा अंततोगत्वा सुख प्राप्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में भी विद्या के महत्व को निम्नांकित श्लोक से स्पष्ट समझा जा सकता है —

न चैर हार्य न च भातृ भाज्यं,
न राजहार्य न च भार कारिः।
व्यये कृते वर्धत एव नित्यं,
विद्या विद्या धनं सर्वधन प्रधानम्।।

(चौधरी एवं निशि, 2012 से उद्धृत)

सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मनुष्य का विकास शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षा से जुड़े मुख्य बिंदु यह समझने में हमारी सहायता करते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है और वह बेहतर जीवन जीने में हमारी किस प्रकार सहायता करती है। प्रस्तुत लेख में इस बिंदु का विस्तृत उल्लेख है कि शिक्षा की नींव एवं रीढ़ मानी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत ऐसे कौन-से कारण हैं, जो प्राथमिक शिक्षा में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के मध्य खाई को बढ़ाये जा रहे हैं तथा समाज में सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा निजी विद्यालयों की ओर रुझान बढ़ता जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा का इतिहास

भारत प्रारंभ से ही शिक्षा के प्रति गंभीर रहा है। यही कारण है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल से वर्तमान तक हमारे देश में शिक्षा के विकास एवं प्रचार-प्रसार के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। जिसे नकारना असंभव है। शिक्षा-शास्त्रियों एवं विद्वानों ने शिक्षा के विकास के इतिहास का अध्ययन निम्न कालों में बाँटकर किया —

प्राचीन काल	आधुनिक काल
1. वैदिक काल	1. स्वतंत्रता से पूर्व
2. बौद्ध काल	2. स्वतंत्रता के पश्चात्
3. मध्य काल	

प्राचीन काल — प्राचीन काल को तीन युगों में बाँटा गया है —

वैदिक युग— वैदिक युग में शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियत्रंण से मुक्त तथा निःशुल्क रूप से दी जाती थी।

बौद्ध युग — वैदिक शिक्षा और धर्म में उत्पन्न हुई अनेक सामाजिक बुराइयों की प्रतिक्रिया स्वरूप 500 ई.पू. में बौद्ध धर्म द्वारा एक नवीन शिक्षा प्रणाली का विकास किया गया, जिसका संचालन बौद्ध संघों एवं मठों द्वारा विद्वानों के माध्यम से किया जाता था। इस काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्रदान किया जाता था।

मध्य युग — सन् 1200 से 1700 ई. तक के काल को मध्य युग कहा जाता है। मुस्लिम शासकों का राज्य होने के कारण मकतबों में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा प्राथमिक स्तर तक के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य थी।

आधुनिक काल — इतिहासकारों ने आधुनिक काल को दो वर्गों में विभाजित किया है —

स्वतंत्रता से पूर्व

आधुनिक काल में प्राथमिक शिक्षा का इतिहास भारत में ब्रिटिश शासनकाल से प्रारंभ होता है। प्राथमिक शिक्षा के प्रारंभिक प्रयास मिशनरियों द्वारा किये गये। ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा प्रथम प्रयास 1813 के आज्ञापत्र के उपरांत किया गया। 1835 में मैकाले ने शिक्षा पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया और उसके प्रयासों से भारत में प्राथमिक विद्यालय खोले गये। लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ी शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया, ताकि कंपनी को अंग्रेज़ी के काम-काज करने वाले सेवक मिल सकें। इसके पश्चात् 1854 में वुड के घोषणा-पत्र ने सर्वप्रथम सर्वसाधारण के लिए शिक्षा का प्रबंध करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। सहायता अनुदान प्रणाली की सिफ़ारिश की। सन् 1859 में स्टैनले के घोषणा-पत्र के फलस्वरूप सरकार ने 'प्राथमिक शिक्षा' कर लगाकर प्राथमिक शिक्षा का विकास करने की चेष्टा की। सन् 1882 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग के सामने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की माँग रखी थी। सन् 1904 की शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव ने प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1911 में प्रसिद्ध राजनैतिक नेता व शिक्षाविद् श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए अपना प्रसिद्ध 'गोखले बिल' प्रस्तुत किया। सन् 1918 में बिट्ठल भाई पटेल के प्रयासों से एक कानून बनाकर बंबई म्यूनिसिपल क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। इसका अनुसरण करते हुए 1919 में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल व ओड़िशा में, 1920 में मध्य प्रदेश और असम में तथा 1931 में मैसूर में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के अधिनियम बनाए गए। 1929 में हर्टांग समिति ने भी प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया। 1937 में गांधीजी ने 'बुनियादी शिक्षा' की शुरुआत की। ब्रिटिश काल में प्राथमिक शिक्षा में सुधार का अंतिम प्रयास 1944 में सार्जेन्ट के प्रतिवेदन के उपवर्धा शिक्षा योजना के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने के प्रयास में किये गये।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्

स्वतंत्रता के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के विकास का स्वर्णिम काल प्रारंभ हुआ। भारत ने भी अपने संविधान के अनुच्छेद 45 के माध्यम से देश में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया। भारत सरकार के इस प्रावधान के अनुसार, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी थी तथा भारत सरकार इस दिशा में 1950 से ही प्रयासरत है। 42वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची का हिस्सा बना दिया गया है। यह संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर किया गया था। इस 42वें संशोधन का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नीति निर्देशक तत्वों में 45वें अनुच्छेद

के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य तथा केंद्र सरकार की संयुक्त ज़िम्मेदारी है। महात्मा गांधी के अनुसार, "जिस प्रकार प्रकृति प्रदत्त जल और वायु पर सबका अधिकार है। उसी प्रकार शिक्षा भी सभी के लिए होनी चाहिए। शिक्षा पर सबका अधिकार हो। इसलिए इसे निःशुल्क व अनिवार्य बनाया जाए।" (चौधरी और निशि, 2012 से उद्धृत)

86वें संवैधानिक अधिनियम (संशोधन) 2002 द्वारा 6–14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार का प्रावधान है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में व्यक्त की गयी संकल्पना के आलोक में पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था के नियंत्रण, एकरूपता तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समन्वयन की स्थापना के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 लागू हुआ।

प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए प्रारंभ किये गये विकासोन्मुख कार्यक्रम एवं अभियान

इंग्लैंड ने देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए Universalisation शब्द का प्रयोग किया। जिसका अर्थ है — सार्वभौमिकरण या सार्वजनीकरण या लोकव्यापीकरण।

भारत में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अर्थ है —

- शत-प्रतिशत सुविधा
- शत-प्रतिशत नामांकन
- शत-प्रतिशत ठहराव
- शत-प्रतिशत सफ़लता

इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक एवं सर्वसुलभ बनाने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्व बैंक तथा यूनीसेफ़ की ओर से अनेक अभियान तथा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे —

- प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994)
- स्कूल चलो अभियान (1996)
- वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा कार्यक्रम
- अनूठी शिक्षा
- शिक्षा गारंटी योजना
- एन.पी.जी.ई.एल.
- प्राथमिक शिक्षा विज़न — 2020
- राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम
- गहन क्षेत्रीय एवं मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम
- शिक्षाकर्मी परियोजना
- जनशाला कार्यक्रम
- उत्तर प्रदेश के लिए बीमा योजना
- ग्राम शिक्षा समिति
- संशोधित पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय
- मीना-मंच
- बाल-सदन
- माँ-बेटी मेला योजना
- प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु पिछड़े क्षेत्र की बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम
- उपचारात्मक शिक्षा

- मिड-डे मील (1995)
- सर्व शिक्षा अभियान (2001)
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (14 अगस्त 2009)
- शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून की घोषणा (1 अप्रैल 2010)
- सचल विद्यालय आदि

(चौधरी और निशि, 2012 से उद्धृत)

सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य 6–14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करना है। जिसमें 60 प्रतिशत बालिकाएँ होंगी। 1986 की *नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति* और 1992 के प्रोग्राम ऑफ़ एक्शन में गुणवत्ता को अधिक महत्त्व दिया गया और कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं संतोषजनक स्तर की प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में विश्व स्तर पर 'जैमंतियन कॉन्फ्रेंस' में 1990 में सभी के लिए शिक्षा की विश्वव्यापी घोषणा की गयी थी। तत्पश्चात् 10 वर्ष बाद 2000 में डकार में इसकी समीक्षा करते हुए एक प्रणाली को कार्य रूप दिया गया और आगे की रूपरेखा तैयार की गयी। इस घोषणा में छः मुख्य लक्ष्य निर्धारित किये गये, जिसमें पहले दो लक्ष्य 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को, खासतौर से बालिकाओं को या कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को, अल्पसंख्यकों को 2015 का उत्तम गुणवत्ता की अनिवार्य तथा निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध होना सुनिश्चित किये जाने से संबंधित थे। इसी दिशा में एक सर्वव्यापक एवं सर्वमहत्वपूर्ण अभियान "सर्व शिक्षा अभियान" प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित मिशन पद्धति अपनाए जाने के संबंध में है। जो कि अक्तूबर 1998 में आयोजित राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफ़ारिशों का परिणाम है। जिसे 16 नवंबर, 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है। गोवा को छोड़कर संपूर्ण राष्ट्र की इसमें सहभागिता रही। सर्व शिक्षा अभियान में लड़कियों एवं कमज़ोर वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए अनेक कार्यक्रम एवं अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2002 में देश के सभी जिलों को आच्छादित किया गया है। वर्ष 2003 में सभी बच्चों को स्कूल वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों एवं बैक टू स्कूल कैंप में लाने का प्रयास किया गया। वर्ष 2007 में सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने पर बल दिया गया है। 2010 तक सभी बच्चों की वर्ष की गुणवत्ता स्तर प्रदान करना है। 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया है। राष्ट्रपति का अनुमोदन भी इसे प्राप्त है और 27 अगस्त 2009 को इसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया। देश के 6–14 आयु-वर्ग के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया है।

उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भारत जैसे बहुसंख्यक आबादी वाले देश की नींव की सुदृढ़ता के लिए आधार तैयार किया जा रहा है, बस आवश्यकता है तो समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग की। जिससे जल्द ही यह स्वर्णिम स्वप्न साकार हो सके।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम

फ्रांस की क्रांति के नेता दांते का मत था कि "रोटी के बाद शिक्षा जीवन में सबसे मूल्यवान है। रोटी जैविक जीवन के लिए और शिक्षा सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन के लिए अनिवार्य है।" (सिंह, 2015 से उद्धृत)

इस प्रकार किसी भी देश या समाज को उन्नति के शिखर पर पहुँचने के लिए वहाँ शिक्षा का दीप जलाना आवश्यक है। उन्नत, आदर्श और व्यवस्थित समाज के लिए साक्षरता की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा ज्ञान और संस्कार दोनों का प्रहरी है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के छः दशक पश्चात् बच्चों के लिए ''निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009'' का 1 अप्रैल 2010 को लागू होना, एक सपने के साकार होने जैसा है।

कानून में निःशुल्क शिक्षा की परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है "बच्चों को विद्यालय से दूर रखने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा, चाहे वह फ़ीस हो, पुस्तकों और कापियों, परिवहन और पोशाक आदि का खर्च हो या फिर अन्य कोई व्यय जो दूरस्थ स्थानों में लगता हो और जिनको इस विस्तृत सूची में स्थान न मिल सका हो, का भुगतान करना सरकार का कर्तव्य होगा।" इसी प्रकार, 'अनिवार्य' शब्द को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि "यह सरकार का दायित्व है कि वह बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करें।" इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखकर ही नए अधिनियम में कुछ प्रमुख प्रावधानों को सम्मलित किया गया है। जिनका वर्णन अग्रलिखित है —

- 6–14 आयु-वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार।
- देशभर में 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को आठवीं कक्षा तक की निःशुल्क शिक्षा निकट के स्कूल में दिलाना सरकार का दायित्व निर्धारित।
- सभी केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूलों और गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को कम से कम 25 प्रतिशत विद्यार्थी वंचित और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों से लेना अनिवार्य।
- "प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए'' यह उत्तरदायित्व संबंधित अभिभावकों और लोकल अथॉरिटी को निर्धारित।
- नए अधिनियम के सभी पहलुओं को क्रियान्वित किये जाने हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करना केंद्र व राज्य सरकारों का दायित्व निर्धारित।
- प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर रोक तथा इसका उल्लंघन करने पर ₹ 25 से 50 हजार जुर्माने की व्यवस्था।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी विद्यार्थी को किसी कक्षा में रोकना अथवा स्कूल से निकाला जाना प्रतिबंधित है। प्राथमिक स्तर तक बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं।
- बिना मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालय को प्रारंभ किया जाना प्रतिबंधित।

- बिना मान्यता के स्कूल चलाने वाले व्यक्ति/संस्था पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना।
- कानून लागू होने के छः महीने के अंदर शिक्षकों के निर्धारित सभी पदों को भरे जाने की आवश्यक व्यवस्था।
- सरकार द्वारा निर्धारित किये गये छात्र-शिक्षक अनुपात का पालन प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक।
- प्रत्येक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक प्रति कक्षा प्रति विषय पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य
- सभी शिक्षकों के लिए प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर रोक।
- चुनाव, जनगणना तथा आपदा प्रबंधन के अलावा विद्यालयीय शिक्षकों के अन्य कार्यों में इस्तेमाल पर रोक।
- कक्षा पाँच तक 200 दिन और कक्षा 6 से 8 तक 220 दिन स्कूलों में पढ़ाई कराया जाना ज़रूरी।
- निगरानी के लिए ''नेशनल कमीशन फ़ॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चाइल्ड राइट्स तथा नेशनल एडवाइज़री काउन्सिल की व्यवस्था निर्धारित (अग्रवाल, 2010 से उद्धृत)।

अधिनियम की कमियाँ व सुझाव

अधिनियम के अनुसार 6–14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी जाएगी। परंतु अधिनियम का सूक्ष्म अवलोकन करने पर इसकी सफ़लता पर संदेह है। अधिनियम की कमियाँ व सुझाव संक्षेप में निम्न प्रकार हैं —

- बच्चों के अनुपात में कक्षा-कक्षों की कमी, जिसके परिणामस्वरूप विद्यालयों को दो या तीन पारियों तक में चलाया जाता है। पुराने विद्यालयों के भवन भी जर्ज़र अवस्था में हैं, जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अतः इनकी संख्या बढ़ाने के साथ-साथ मौजूदा विद्यालय भवनों की मरम्मत भी करवाई जानी चाहिए।
- आज भी कई गाँव ऐसे है, जहाँ दूर-दूर तक विद्यालय नहीं हैं। अतः ऐसे गाँवों का सर्वे कर विद्यालय बनाए जाएँ।
- विद्यालय व आवासीय क्षेत्रों में दूरी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्ति में बाधक है। इसके लिए दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यालय खोले जाएँ तथा ऐसे क्षेत्रों में सरकार द्वारा उचित परिवहन साधनों की भी व्यवस्था उपलब्ध करवानी चाहिए।
- निजी विद्यालयों में जहाँ वातानुकूलित कक्षा-कक्ष, स्वीमिंग पूल तथा व्यायामशाला होती है, वहाँ सरकारी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव पाया जाता है। सरकारी विद्यालयों के बच्चे आज भी सूर्य की तपन व टपकती छत में पढ़ाई करते देखे जा सकते हैं। इससे इस शिक्षा जगत के देश में दो भिन्न स्थितियाँ प्रकट होती हैं।
- अधिनियम के अनुसार केवल कुछ पाठ्य-पुस्तकों व पत्र-पत्रिकाओं से एक अच्छा पुस्तकालय बनता है। लेकिन इसमें आधुनिक शिक्षा की ज़रूरत के अनुसार कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि सुविधाएँ भी आवश्यक हैं।
- अधिनियम में कुल शिक्षक पदों में से 10 प्रतिशत से अधिक किसी भी अवस्था में खाली नहीं रखे जाएँगे। परंतु 10 प्रतिशत शिक्षकों के

पद खाली रहने का खामियाजा छात्रों को ही भुगतान पड़ेगा अर्थात् ऐसे में गुणवत्तायुक्त शिक्षा की बात करना कोरी कल्पना है क्योंकि गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए योग्य व समर्पित शिक्षकों की ज़रूरत होती है।

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को अधिनियम में स्थान नहीं दिया गया, जबकि देश के करोड़ों बच्चों को इस शिक्षा की आधारभूत ज़रूरत है।
- देश में हज़ारों बच्चों को खतरनाक कार्यों और कारखानों में काम करना पड़ता है। अधिनियम में देश के भविष्य के इन बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
- निजी व सरकारी विद्यालयों में भी इस अधिनियम में भेदभाव किया गया है। निजी विद्यालयों को मान्यता के लिए अधिनियम में बताए गए दिशा-निर्देशों को पूरा करने पर मान्यता मिलेगी। जबकि सरकारी विद्यालयों को बिना शर्त मान्यता स्वतः मिल जायेगी।
- विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के संबंध में अधिनियम मौन है। विकलांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने संबंधी अधिनियम में 'अक्षमता' की परिभाषा 'व्यक्ति अक्षमता अधिनियम 1995' के अनुसार मानी गयी है। जो कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम—1999 द्वारा बताई गई 'अक्षमता' की परिभाषा की शर्तों को पूरी नहीं करती।

आवश्यकता है अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए एक समुचित समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर लागू करने की, जिससे इस अधिनियम का सकारात्मक परिणाम अतिशीघ्र प्राप्त हो सके, साथ ही सरकारी एवं निजी विद्यालयों के मध्य बढ़ रही दूरी समाप्त या कम हो सके। तभी देश के सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त कर अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएँगे।

अध्ययन संबंधित साहित्य समीक्षा

प्राथमिक शिक्षा में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के मध्य बढ़ रही दूरी तथा समाज में निजी विद्यालयों के प्रति बढते रुझान के कारणों को जानने के लिए समय-समय पर शोधार्थियों द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्यों के परिणाम एवं निष्कर्षों का अध्ययन किया। जो ये प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं कि सरकारी एवं निजी विद्यालयों में दूरी क्यों बढ़ती जा रही है।

ब्राउन (1997) ने जार्जिया के प्राथमिक विद्यालयों पर शोध करके यह ज्ञात किया कि शिक्षकों में कार्य संतुष्टि विद्यालयी वातावरण को समुन्नत बनाती है। जब शिक्षक कार्य-संतुष्ट होते हैं, तब वे विद्यालय में मन लगाकर कार्य करते हैं। विद्यालय की प्रगति हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हैं। जिसका विद्यालयी वातावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। (मिश्रा, 2013 के शोधकार्य से उद्धृत)

नंदिता (2000) ने जम्मू के 10 सरकारी एवं 10 प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों के संगठनात्मक वातावरण पर एक सर्वेक्षण किया। निष्कर्ष द्वारा यह ज्ञात हुआ कि सरकारी विद्यालयों में सभी शिक्षकों को सरकार की तरफ़ से निश्चित मात्रा में वेतन मिलते रहने से वे विद्यालय व छात्रों की शिक्षा-दीक्षा को

ज़्यादा महत्त्व नहीं देते व सदैव कार्यमुक्त रहना पसंद करते हैं व विद्यालय का वातावरण नीरस-सा रहता है। इन विद्यालयों में छात्रों का शुल्क कम होने के कारण इनमें गरीब व सामान्य वर्ग के छात्र अधिक पढ़ने आते हैं एवं वे शिक्षकों की राजनीति का शिकार बनते हैं व इन विद्यालयों का वार्षिक परिणाम अधिक अच्छा नहीं रहता, जबकि प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षकों के कार्य करने की दर के अनुसार वेतन मिलता है। वे विद्यालय में किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति को नहीं आने देते क्योंकि ऐसे में इन शिक्षकों को विद्यालय से नौकरी समाप्त हो जाने या वेतन कम हो जाने का भय रहता है। वे प्रशासन एवं प्रबंधन के सख्त नियमों का पालन करते हुए पाये गये। इन विद्यालयों में छात्र शुल्क अधिक होने से इनमें धनाढ्य वर्ग के बच्चे अधिक पढ़ने आते हैं। जिस कारण से छात्र उपस्थिति भी अधिक रहती है। साथ में सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा इनमें विद्यालय से संबंधित भौतिक सुख-साधन अधिक हैं। फलतः शिक्षक विद्यालयी क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। विद्यालय में अलगाव की स्थिति नहीं आने पाती है। इन विद्यालयों का वार्षिक परिणाम भी अच्छा रहता है। (मिश्रा. 2013. के शोध कार्य से उद्धृत)

उपाध्याय तथा सिंह (2001) द्वारा भोपाल के अध्यापकों के व्यावसायिक प्रतिबल का अध्ययन किया गया। अध्ययन द्वारा परिणाम ज्ञात हुए कि प्राथमिक शिक्षकों में अधिक कार्य होने के कारण व्यावसायिक प्रतिबल अधिक है। कॉलेज शिक्षकों की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षकों में अधिक व्यावसायिक प्रतिबल प्राप्त हुआ। (मिश्रा. 2013. के शोध कार्य से उद्धृत)

व्यास (2002) ने प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की कार्य-संतुष्टि का अध्ययन उनके जेंडर, वैवाहिक स्थिति एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर किया। इस अध्ययन में पाया कि पोरबंदर एवं जूनागढ़ जनपदों में कार्यरत शिक्षकों के कार्य संतुष्टि पर उसके जेंडर का सार्थक प्रभाव नहीं है। विवाहित शिक्षक अपने व्यवसाय के प्रति अविवाहित शिक्षकों से अधिक संतुष्ट पाये गये। यह भी पाया गया कि शिक्षकों की कार्य-संतुष्टि पर उनकी शैक्षिक योग्यता का कोई प्रभाव नहीं है। (उनियाल और नौटियाल, 2007 से उद्धृत)

शफ़ीक (2003) ने निम्न एवं उच्च वेतनधारी शिक्षकों के समूहों पर शिक्षण के कमज़ोर पक्ष के दृष्टिगत उनके समायोजन एवं कार्ययोजन तथा कार्य संतुष्टि का अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि शिक्षकों की अयोग्यता में उनके वेतन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं है तथा कार्य संतुष्टि पर शिक्षकों के वेतन की कोई भूमिका प्रभावी नहीं रहती है। (उनियाल और नौटियाल, 2007 से उद्धृत)

चोपड़ा (2003) ने हरियाणा प्रदेश के 40 प्राथमिक विद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों से प्रश्नावली के माध्यम से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किये — शिक्षकों के तनाव का महत्वपूर्ण कारण राज्य के स्थानांतरण नियमों की कमी का होना है। ग्रामीण क्षेत्र के प्राचार्यों का व्यवहार शिक्षकों के प्रति शहरी क्षेत्र के प्राचार्यों के व्यवहार से उत्तम रहा है। प्राथमिक शिक्षक दैनिक शैक्षणिक कार्यों की अपेक्षा अन्य शासकीय कार्यों में व्यस्त पाये

गये, जिसका दुष्प्रभाव छात्रों के अधिगम पर पड़ता है। (उनियाल और नौटियाल, 2007 से उद्धृत)

देवी (2003) ने सरकारी/निजी विद्यालयों में कार्यरत महिला व्याख्याताओं की कार्यसंतुष्टि का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि सरकारी एवं निजी विद्यालयों की महिला व्याख्याताओं के बीच में कार्य करने की स्वतंत्रता एवं व्यावसायिक स्थिति का कोई सार्थक अंतर नहीं है। (उनियाल और नौटियाल, 2007 से उद्धृत)

उनियाल और नौटियाल (2007) ने जनपद पौड़ी गढवाल, उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों (पैराटीचर्स) की कार्यसंतुष्टि का अध्ययन करते हुए पाया कि शिक्षा मित्रों के कार्यसंतुष्टि पर जेंडर कारक का सार्थक प्रमाण नहीं पाया गया।

तिवारी (2007) ने उ.प्र. राज्य के चित्रकूट मंडल के जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत की शैक्षिक उपलब्धि स्तर एवं ठहराव पर पड़ने वाले विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि एवं परिणाम की जाँच के लिए माध्य एवं प्रसरण विश्लेषण सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। इन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर जेंडर, परिवार की आय, परिवार की जिलेवार स्थिति और जेंडर एवं परिवार की आय के बीच अंतर्क्रिया तथा विद्यालय की क्षेत्रवार व जिलेवार स्थिति के बीच अंतर्क्रिया का विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव पाया गया। जबकि जाति, परिवार की शिक्षा, परिवार के व्यवसाय, परिवार के आकार, विद्यालय की क्षेत्रवार स्थिति जेंडर व जाति के बीच अंतर्क्रिया, परिवार की शिक्षा एवं परिवार के व्यवसाय के बीच अंतर्क्रिया, परिवार की शिक्षा व परिवार के आकार के बीच अंतर्क्रिया, परिवार के व्यवसाय एवं परिवार के आकार के बीच अंतर्क्रिया का सार्थक प्रभाव विद्यार्थियों की विद्यालय में उपस्थिति पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

साहू और गुप्ता (2010) ने शिक्षा मित्रों की शिक्षण प्रभावशीलता और प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि एवं प्राप्त आँकड़ों की जाँच के लिए t-अनुपात एवं प्रतिशत का प्रयोग किया। इन्होंने अध्ययन में पाया कि प्राथमिक स्तर पर परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त बी.टी.सी. प्रशिक्षित शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता शिक्षा मित्रों की शिक्षण प्रभावशीलता से अधिक है।

भूषण (2010) ने बागपत जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन करते हुए पाया कि 75 प्रतिशत अध्यापकों, 76 प्रतिशत छात्रों तथा 77 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार विद्यालय में भोजन बनने पर शिक्षण कार्य प्रभावित होता है तथा विद्यालय का समय बर्बाद होता है। 90 प्रतिशत अध्यापकों, 92 प्रतिशत छात्रों व 97 प्रतिशत अभिभावकों के अनुसार विद्यालय में पहले से बना बनाया सील बंद भोजन जैसे बिस्किट, फल व ड्राईफ्रूटस आदि वितरित किया जाना चाहिए। 25 प्रतिशत अध्यापक, 13 प्रतिशत छात्र व 10 प्रतिशत अभिभावक इस योजना को बंद करने के पक्ष में हैं।

मिश्रा (2013) ने बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया। इन्होंने अध्ययन करते हुए पाया कि परिषद्‌ीय विद्यालयों की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है। इन विद्यालयों को बंद करने का सुझाव नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन विद्यालयों के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य निजी विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है और ये निजी विद्यालय निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर से संबंधित बालिकाओं की पहुँच के बाहर हैं।

यादव (2013) ने कानपुर देहात के अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि एवं प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत विधि का प्रयोग किया। अध्ययन में बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों द्वारा अवलोकन में प्राप्त आँकड़ों में पाया गया कि 45 प्रतिशत घर से विद्यालय दूर होने की समस्या, 60 प्रतिशत महिला शिक्षिकाओं का अभाव, 84 प्रतिशत का मानना कि विद्यालयों में समुचित पढ़ाई नहीं होती, 71 प्रतिशत अभिभावकों का मानना है कि विद्यालय में जाति संबंधी भेदभाव, 68 प्रतिशत अभिभावकों का मानना है कि विद्यालय में समुचित सुविधाओं का अभाव है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय स्थिति का सर्वेक्षण करने पर पाया कि 20 प्रतिशत कच्चे, 76 प्रतिशत पक्के एवं 4 प्रतिशत टीन शेड के प्राथमिक विद्यालयों के भवन हैं। 62 प्रतिशत विद्यालयों में प्रतिदिन सफ़ाई, जबकि साप्ताहिक एवं मासिक सफ़ाई का प्रतिशत क्रमशः 32 व 6 है। विद्यालय में उपलब्ध उपकरणों में 96 प्रतिशत श्यामपट्ट, 100 प्रतिशत मेज़-कुर्सी की व्यवस्था है, परंतु टाट-पट्टी की व्यवस्था मात्र 10 प्रतिशत छात्रों के बैठने के लिए है। विद्यालय परिसर में 90 प्रतिशत पानी की सुविधा, खेल का मैदान एवं प्रसाधन क्रमशः 52 व 20 प्रतिशत है। बैठने की व्यवस्था में 10 प्रतिशत एक साथ, 38 प्रतिशत अलग-अलग व 52 प्रतिशत विद्यालयों में छात्रों की अलग-अलग बैठने की व्यवस्था है। मध्याह्न भोजन में फल एवं बिस्किट मिलने का प्रतिशत शून्य व अनाज व कुछ भी न मिलने का प्रतिशत क्रमशः 20 व 80 है। प्राथमिक स्तर पर उपस्थिति एवं अनुशासन के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में 38 प्रतिशत विद्यालय एकल अध्यापक, 16 प्रतिशत द्विअध्यापक, 22 प्रतिशत तीन अध्यापक एवं 28 प्रतिशत ऐसे भी विद्यालय हैं, जिसमें आवश्यकतानुसार अध्यापकों की संख्या पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में पाठ्यसहगामी क्रियाओं में 8 प्रतिशत गायन, 12 प्रतिशत अंताक्षरी, 40 प्रतिशत खेलकूद एवं 40 प्रतिशत विद्यालयों में किताबी शिक्षा के अलावा कोई पाठ्यसहगामी कार्यक्रम नहीं कराये जाते हैं। 4 प्रतिशत विद्यालयों में गृहकार्य प्रतिदिन, 10 प्रतिशत सप्ताह में, 68 प्रतिशत कभी-कभी व 18 प्रतिशत बालिकाओं के दृष्टिकोण से कभी नहीं दिया जाता तथा गृहकार्य का मूल्यांकन 12 प्रतिशत प्रतिदिन, 60 प्रतिशन कभी-कभी, 28 प्रतिशत विद्यालयों में कभी नहीं किया जाता है।

गौतम और सिंह (2013) ने बिहार में विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप और विकास का अध्ययन किया। जिसमें इन्होंने विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्राप्त

आँकड़ों को एकत्र किया। ऑल इंडिया स्कूल सर्वे, एन.सी.ई.आर.टी. 2009 के अनुसार बिहार में कुल 70000 से अधिक विद्यालय हैं। जिसमें 68489 सरकारी विद्यालय (97.80 प्रतिशत), 280 स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय (0.39 प्रतिशत), 1060 सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (1.4 प्रतिशत) तथा 194 गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय (1.51 प्रतिशत) हैं। प्राथमिक विद्यालय 43286 (61.81 प्रतिशत), उच्च प्राथमिक विद्यालय 22775 (32.52 प्रतिशत) हैं। भौतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करने पर पाया कि बिहार प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर भवन रहित प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत देशभर के भवन रहित प्राथमिक विद्यालयों से 13.73 प्रतिशत अधिक है। विद्यालय परिसर में पेयजल की सुविधा, प्रयोग में आने वाले शौचालय एवं खेल का मैदान, इन तीनों की सुविधाओं के संदर्भ में इस प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का प्रतिशत पूरे देश के प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में 5.36 प्रतिशत, 38.87 प्रतिशत एवं 16.34 प्रतिशत कम है। "पिछले डेढ़ दशक में बिहार प्रदेश में छीजन दर (ड्रापआउट रेट) में सबसे ज़्यादा कमी प्राथमिक स्तर पर 17.01 प्रतिशत दर्ज की गयी है। प्राथमिक तौर पर इस समस्या को दूर करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है।" (एजुकेशन इन इंडिया, अंक 1991–92, 1998–99 तथा चयनित शैक्षिक सांख्यिकी, 2003–04 और 2008–09, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली) 1990 से पूर्व इस प्रदेश में सी.बी.एस.ई. से संबंध विद्यालयों की संख्या नगण्य थी, जबकि 1990 से 2005 के बीच इन विद्यालयों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इसके मुख्यतः दो कारण बताये जा सकते हैं —

1. सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एवं
2. सरकारी विद्यालयों का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठयक्रम के मानकों के अनुरूप न होना।

सावंरकर 2014 ने जनपद जालौन के प्राथमिक शिक्षकों की कार्यदक्षता व प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में विद्यालय वातावरण व उनके कार्य संतोष का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि एवं प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया। अध्ययन में पाया कि प्रत्येक प्राथमिक शिक्षक की प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति उच्च सकारात्मक होनी आवश्यक है। शिक्षक दक्षता भी प्राथमिक शिक्षा के लिए परमावश्यक है। इसके अतिरिक्त विद्यालय का वातावरण उत्तम हो व शिक्षक अपने व्यवसाय से संतुष्ट हो। इस प्रकार के प्रयास प्राथमिक शिक्षा की सफ़लता के लिए आवश्यक हैं।

मानव संसाधन मंत्रालय, *एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस — 2014* के सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, ब्रिक्स देशों में प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शिक्षकों की कमी हमारे देश में ही है। इसका पता शिक्षक-छात्र अनुपात से चलता है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से छात्रों का दाखिला बढ़ा ज़रूर है, लेकिन जब तक पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। (अमर उजाला. 15 मई, 2015. पृ. 15 से उद्धृत)

संबंधित साहित्य का अध्ययन व विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एवं अध्यापकों की कार्य संतुष्टि पर्याप्त नहीं होगी। तब तक शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा नहीं जा सकेगा। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आते ही समाज के व्यक्तियों की सरकारी विद्यालयों के प्रति बनी नकारात्मक धारणा को समाप्त किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सभी निजी विद्यालयों में भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए उचित परिणामों को प्राप्त करने के लिए सरकारी एवं निजी प्राथमिक विद्यालयों का शिक्षा संबंधी समस्याओं पर तुलनात्मक अध्ययन करना भी आवश्यक है। तभी सार्थक रूप में सरकारी एवं निजी विद्यालयों के मध्य बढ़ रही खाई के कारणों को जाना जा सकेगा।

समाज का निजी विद्यालयों के प्रति बढ़ते रुझान का कारण

वर्तमान समय में, बड़े शहर हों या छोटे, उच्च और मध्यम वर्ग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजता है। सर्वेक्षण के आँकड़े बताते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग ही सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं। इसकी अवधारणा यह है कि प्राइवेट स्कूल बेहतर हैं। प्राइमरी शिक्षा में 90 प्रतिशत परिवार बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। 10 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 76 प्रतिशत परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं और 24 प्रतिशत परिवारों के बच्चे सरकारी या नगरपालिका के स्कूलों में पढ़ते हैं। (अमर उजाला, 2 मई 2014 पृ. 15 से लिये गये आँकड़े)

इतना ही नहीं सरकार ने भी शिक्षा के निजीकरण के एजेंडे को अपनाते हुए शिक्षा बजट को 83000 करोड़ से घटाकर 69000 करोड़ रुपये कर दिया। यानी इसमें 16.9 प्रतिशत की कटौती कर दी गयी। *सर्व शिक्षा अभियान* में करीब 2,375 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। स्कूल में बच्चों को दोपहर का भोजन देने की योजना में भी लगभग 4000 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। *सर्व शिक्षा अभियान* में पिछले साल 24,375.14 करोड़ रुपये और इस बार सिर्फ़ 22000 करोड़ रुपये देकर आबंटित किये गये हैं। इतना ही नहीं, मिड-डे मील में पिछले साल लगभग 13000 करोड़ रुपये और इस बार, सिर्फ़ 9236 करोड़ रुपये आबंटित किये गये। ऐसा पिछले 60 साल में पहली बार हुआ है, जब बढ़ोतरी के बजाय इसे घटा दिया गया।

यह हालत तब है जब देश में 60 लाख बच्चे आज भी स्कूल से वंचित हैं और शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए पाँच साल हो चुके हैं। इस कानून में निजी स्कूलों में भी 25 प्रतिशत सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अनिवार्यता से लागू करने का आदेश दिया। इसके बावजूद क्रियान्यवन के अभाव में 21 लाख सीटों में से सिर्फ़ 29 प्रतिशत सीटें ही भरी गईं। इन आँकड़ों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी वाकिफ़ है। मंत्रालय ने माना है कि 2009 के मुकाबले 2014 के अंत तक 26 प्रतिशत नामांकन में गिरावट दर्ज की गयी है।

यही हाल स्कूली भवनों और शिक्षकों की कमी का है। इस समय देश में तीन लाख स्कूल भवनों और

करीब 12 लाख शिक्षकों की दरकार है। इस कमी के चलते कई स्कूल खुले में चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी गंभीर चिंता का विषय है। अधिनियम के मुताबिक, 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, लेकिन देश के लगभग सभी स्कूलों में 100 से अधिक बच्चों पर सिर्फ़ एक शिक्षक है। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। कई गैर-सरकारी संस्थाओं ने इसको लेकर चिंता भी जाहिर की है। ज़ाहिर है, इन वजहों से स्कूलों में ताले भी लग रहे हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में एक स्कूलों में दाखिले का ग्राफ़ लगातार बढ़ता जा रहा है। वंचित तबका भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की बजाय निजी स्कूल में भेजने को मजबूर है। यह सिलसिला अभी जारी है। (त्यागी. जून, 08. 2015. पृ. 12, हिन्दुस्तान, से उद्धृत)

ऐसा लगता है कि सरकारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और इस अव्यवस्था के बिगड़ने का कारण है कि सभी तंत्रों द्वारा सही प्रकार से योजना का सही दिशा में कार्यान्वयन न हो पाना। इसलिए सरकारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का सुधरने के बजाए दूसरे भुलावे में उलझाये रहना। यहीं कारण है कि समाज में निजी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त चर्चा एवं विश्लेषण विवरण से ये तो काफ़ी सीमा तक स्पष्ट हुआ है कि किन कारणों की वजह से समाज के व्यक्तियों का झुकाव निजी विद्यालयों की तरफ़ बढ़ रहा है। परंतु अभी भी ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर विचार करना अनिवार्य है और उनके समाधान के लिए उपाय खोजना भी आवश्यक है। तभी सभी को शिक्षा का समान अवसर दे पाने का स्वप्न साकार हो पाएगा। ये विचारणीय मुद्दे निम्न हैं —

- देश में निजी विद्यालयों की बहुतायत है जिससे इनमें बहुतायत में प्रवेश होने की संभावना है। इस अधिनियम में सभी निजी एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ये निजी एवं अल्पसंख्यक संस्थाएँ इसके प्रति सकारात्मक हैं? और यदि नहीं हैं तो पहली बात तो इन बच्चों को प्रवेश मिलना ही दूर की बात होगी और यदि प्रवेश दे भी दिया तो अधिनियम की धारा-8 (समान व्यवहार एवं सुविधाएँ) की पालना अभी भविष्य के गर्त में है।
- निजी विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों की तुलना में ऊँचा शुल्क वसूल किया जाता है। वहाँ प्रवेश में 25 प्रतिशत आरक्षण कमज़ोर वर्ग को दिये जाने का प्रावधान है। संशय पैदा करता है कि 25 प्रतिशत स्थान झूठे आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर समृद्ध अभिभावकों की संतानें इन संभ्रात विद्यालयों में प्रवेश ले सकने में सफ़ल होंगे। फलतः शिक्षा के माध्यम से असमानताएँ फैलेंगी।
- कमज़ोर वर्ग का आंकलन आय के आधार पर होगा या फिर जातिगत आधार पर? इस पर भी विचार किया जाना अपेक्षित है।

- यदि कमज़ोर वर्ग के अभिभावकगण वित्तीय या अन्य स्रोतों से फ़ीस की व्यवस्था कर भी लेते हैं, तो उनके पुनर्भरण की कोई भी व्यवस्था अधिनियम में नहीं की गयी है। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है।
- हमारा तंत्र भी निजी शिक्षण संस्थानों की मदद करता है। 25 प्रतिशत गरीब बच्चे निजी स्कूलों में न जा सकें, इसके लिए अभी तक कहा जाता रहा है कि निजी स्कूलों के एक किमी. की परिधि में कोई सरकारी विद्यालय नहीं होने पर दाखिला दिया जाये।
- यह आदेश पहली कक्षा के लिए है। संभव है, स्कूल प्रबंधक पहली कक्षा में प्रवेश संख्या बढ़ा दें। यह भी संभव है कि अल्पसंख्यक वर्ग के नाम पर स्कूल खोले जाएँ, जहाँ 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश देने की बाध्यता नहीं है। इस पर भी विचार किया जाना आवश्यक है।
- 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना। शेष 75 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों के भरोसे अनपढ़ रहे, क्या ये न्यायोचित है।
- सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के आकर्षण में गरीब बच्चे पढ़ लेते हैं, तो क्या निजी विद्यालयों में जो गरीब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उन्हें मिड-डे मील की आवश्यकता नहीं है।

ये सब वे मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। कहीं ऐसा न हो कि बच्चों के बालमन पर भेदभाव का भाव उत्पन्न होकर उनकी मानसिकता को प्रभावित करे और अमीर व गरीब बच्चों के प्रति अस्पृश्यता का भाव पैदा कर समाज को बाँटने का काम करें।

अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में सबको समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत अधिक है। इसलिए तीन चौथाई आबादी की किस्मत में यही सरकारी स्कूल हैं। ये अधिनियम कक्षा एक से आठ तक की कक्षा के लिए है। अब सवाल उठता है कि कक्षा आठ के बाद क्या होगा? क्या आठवीं की पढ़ाई कर आज कोई बच्चा रोज़गार पा सकता है। गरीब और साधारण बच्चों के लिए आगे की शिक्षा निरंतर लेना नामुमकिन है।

अतः बराबरी व विकास लाने की जिस भावना के तहत् शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है, उसे पाने के लिए गुणवत्ता के फ़र्क को भी मिटाना होगा। तभी शायद सरकारी एवं निजी विद्यालयों के बीच बढ़ती खाई, समाप्त हो पायेगी और हम शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे।

ग्रंथ सूची

अग्रवाल, यू.सी. 2010. बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में 'प्राथमिक शिक्षा' — एक विश्लेषण. *प्रतियोगिता दर्पण*. जून. आगरा.

अमर उजाला. मेरठ संस्करण. 2014. *बढ़ी है सरकारी एवं निजी स्कूलों के बीच खाई*. 2 दिसम्बर, 2014.

____. मेरठ संस्करण. 2015. *इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता नहीं*. 5 मई, 2015.

उनियाल, एन.पी. और आर.सी. नौटियाल. 2007. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला शिक्षामित्रों (पैराटीचर्स) के कार्य-सन्तुष्टि का एक अध्ययन. *विद्यामेघ*. जुलाई, विद्या प्रकाशन मन्दिर लि. मेरठ.

गौतम, एन. और आर.आर. सिंह. 2013. बिहार में विद्यालयी शिक्षा का स्वरूप और विकास. *परिप्रेक्ष्य*. अंक 1. अप्रैल. नयी दिल्ली. www.nuepa.org. 7 अगस्त, 2015 को देखा गया.

चोपड़ा, के.आर. 2003. प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन हरियाणा एक्सप्लोजन इन टू दियर वर्किंग कन्डीशन एजुकेशन. *विद्यामेघ*. विद्या प्रकाशन मन्दिर लि. मेरठ.

चौधरी, एस.एस. और निशि. 2012. भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास क्रम. *प्रतियोगिता दर्पण*. जुलाई. आगरा.

तिवारी, एम. 2007. प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक. *परिप्रेक्ष्य*. दिसंबर, अंक 3. नयी दिल्ली. www.nuepa.org 7 अगस्त, 2015 को देखा गया.

त्यागी, के.सी. 2015. शिक्षा पर ऐसी उदासीनता क्यों. *हिन्दुस्तान*. 08 जून, 2015. मेरठ संस्करण.

देवी, ए, के.वी. और ए. वेलयूनाथ. 2003. जॉब सैटीस्फैक्सन ऑफ ओमेन लेक्चरर्स वर्किंग इन प्राइवेट एण्ड गवर्नमेंट कॉलेज. *विद्यामेघ*. विद्या प्रकाशन मन्दिर लि., मेरठ.

पाराशर, एम. और डी. सिंह. 2012. *शिक्षा शास्त्र*. एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन्स. आगरा.

व्यास, एम.वी. 2002. द जॉब सैटीस्फैक्शन ऑफ़ प्राइमरी स्कूल टीचर्स विद रिफ़रेन्स टू सेक्स, मैटीरियल स्टे — अस एंड एजूकेशनल क्वालीफिकेशन. *विद्यामेघ*. जून, विद्या प्रकाशन मन्दिर लि. मेरठ.

भूषण, बी. 2010. बागपत जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन. *विद्यामेघ*. जून-जुलाई, विद्या प्रकाशन मन्दिर लि., मेरठ.

मिश्रा, आर. 2013. बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा — प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के संदर्भ में एक अध्ययन. www.shodhganga.inflibnet.ac.in 8 अगस्त, 2015 को देखा गया.

यादव, एन.के.एस. 2013. *अनुसूचित जाति के संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा की स्थिति, एक अध्ययन*. www.shodhganga.inflibnet.ac.in 8 अगस्त, 2015 को देखा गया.

लाल, आर.बी. और के.के. शर्मा. 2012. *भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएँ*. आर लाल बुक डिपो, मेरठ.

सावंरकर, एम. 2014. *जनपद जालौन के प्राथमिक शिक्षकों की कार्यदक्षता व प्राथमिक शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के संदर्भ में विद्यालयी वातावरण व उनके कार्यसंतोष का अध्ययन*. http://shodhganga.inflibnet.ac.in 8 अगस्त, 2015 को देखा गया.

साहू, पी.के. और आर. गुप्ता. 2010. शिक्षामित्रों की शिक्षण प्रभावशीलता और प्रशिक्षण आवश्यकताओं का अध्ययन. *भारतीय आधुनिक शिक्षा*. जनवरी. नयी दिल्ली. www.ncert.nic.in. 9 अगस्त, 2015 को देखा गया.

सिंह, जे. 2012. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार. *प्रतियोगिता दर्पण,* जून, *आगरा.*